

संदर्भ संख्या ८२ - ८१ एसआईडीसी/परि- Ease of doing Business
कार्यालय आदेश

भारत सरकार की Ease of doing business नीति के अन्तर्गत Establish a dedicated conflict resolution mechanism for land and construction permits के संदर्भ में समस्याओं के निवारण हेतु एक समिति का गठन किया जाता है जिसके सदस्य निम्नवत् हैं:-

- | | |
|--|---------|
| 1. महाप्रबन्धक (विधि) | अध्यक्ष |
| 2. मुख्यालय औ०क्षेत्र के सम्बन्धित अधिकारी | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रबन्धक | सदस्य |
| 4. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |

उपरोक्त समिति समस्या का अध्ययन करके अपनी संस्तुतियों मुख्य अभियन्ता के माध्यम से प्रबन्ध निदेशक को 15 दिन में प्रेषित करेगी।

उपरोक्त आदेश प्रबन्ध निदेशक के आदेश के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(एम०एल०स०नकर)
अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)
(लग्जरी)

पत्रांक / एसआईडीसी- दिनोंक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रबन्ध निदेशक उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
- मुख्य अभियन्ता उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।
- अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र०रा०३००वि०नि०लि०, मुख्यालय कानपुर।

(एम०एल०स०नकर)
अधिशासी अभियन्ता (मुख्यालय)
(लग्जरी)